



2025:CGHC:15162

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरदाण्डिक अपील क्रमांक 1381/2022निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक : 29.01.2025निर्णय पारित करने का दिनांक : 01.04.2025

- कुन्दन कुमार, पिता ललित नारायण भूमिहार, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी- गोपालपुर, थाना परसबिगहा, जिला जहानाबाद, बिहार, वर्तमान निवासी- शुभाष ब्लॉक, एमडी 39, कोरबा, चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला कोरबा (छ.ग.)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: पुलिस थाना कोतवाली, जिला: कोरबा (छ.ग.)

...उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री टी.के. झा, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : सुश्री नंद कुमारी कश्यप, पैनल अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे)

सी ए वी निर्णय

1. यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) (पोक्सो), कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा विशेष प्रकरण (पोक्सो) क्रमांक 38/2020 में दिनांक 11.07.2022 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय से प्रोद्भूत है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को निम्नानुसार सिद्धदोष व दण्डित किया गया है:

क्रमांक	दोषसिद्धि	दण्डादेश
1	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 के अधीन	10 वर्ष का कठोर कारावास व 500/- रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड संदाय के व्यतिक्रम पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।
2	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के अधीन	10 वर्ष का कठोर कारावास व 500/- रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड संदाय के व्यतिक्रम पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।



2. अभियोजन की कहानी संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 15.10.2020 को पीड़ित/शिकायतकर्ता ने थाना मानिकपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 15.10.2020 को लगभग 11.00 बजे वह अपने पड़ोसी कुंदन कुमार (अपीलार्थी के क्वार्टर पर गया था। अपीलार्थी अपने कमरे में अपना मोबाइल देख रहा था। पीड़ित/शिकायतकर्ता मित्र होने के नाते अपीलार्थी के बिस्तर पर बैठ गया और अपीलार्थी का मोबाइल देखने लगा। अपीलार्थी मोबाइल में पेन ड्राइव डालकर अश्लील फिल्म/क्लिप देख रहा था। इसके बाद जब पीड़ित/शिकायतकर्ता अपीलार्थी के कमरे से निकलकर अपने क्वार्टर में जा रहा था, तो अपीलार्थी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक अपने बिस्तर पर लिटा दिया, उसकी पैंट उतार दी और पीड़ित के गुदा में अपना लिंग डालकर अप्राकृतिक लैंगिक संबंध बनाया, जिससे पीड़ित को बहुत दर्द हुआ। पीड़ित/शिकायतकर्ता किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहा और अपने क्वार्टर में जाकर अपने माता-पिता को घटना बताई। इस रिपोर्ट के आधार पर देहाती नालसी (प्र. पी-2) दर्ज की गई और उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र. पी-22) दर्ज की गई। प्र. पी-3 द्वारा जांच तैयार की गई। प्र. पी-4 के अधीन पीड़ित/शिकायतकर्ता की सहमति उसके गुप्तांग की जांच की गई। प्र. पी-5 के अधीन पीड़ित/शिकायतकर्ता के पिता की सहमति भी ली गई। तत्पश्चात, पीड़ित/शिकायतकर्ता को चिकित्सा परीक्षण हेतु जिला अस्पताल कोरबा भेजा गया, जहां डॉ. वी.एस. राठौर (अ.सा.-6) ने उसका परीक्षण किया और प्र. पी-12 के अधीन अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें गुदा द्वार के ठीक ऊपर म्यूकोसा में 12 बजे की स्थिति में गुदा क्षेत्र में कई दरारें देखी गईं, जो यह संकेत दे रही थीं कि पीड़ित/शिकायतकर्ता के साथ लैंगिक शोषण किया गया था। चिकित्सक ने यह भी अभिमत दिया है कि गुदा क्षेत्र के आसपास की चोटें अप्राकृतिक लैंगिक अपराध की पुष्टि करती हैं। अपीलार्थी को चिकित्सा परीक्षण के लिए जिला अस्पताल कोरबा भी भेजा गया, जहां डॉ. वी.एस. राठौर (अ.सा.-6) ने उसका परीक्षण किया और अभिमत दिया कि अपीलार्थी संभोग करने में सक्षम है। प्र. पी/6 के अधीन पीड़ित का जन्म प्रमाण पत्र और कक्षा 6 की अंक सूची जब्त की गई। प्र. पी-8 ए(सी) के अधीन विद्यालय दाखिल पंजी भी जब्त किया गया। प्र. पी/9 के अधीन नजरी नक्शा तैयार किया गया। पीड़ित के चिकित्सा परीक्षण के उपरांत, गुदा की दो स्लाइड, पेरिएनल बालों का नमूना और चिकित्सक द्वारा सील किए गए वस्त्रों को रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।

3. सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन आरोप पत्र अधिकारिता न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी कमलेश के विरुद्ध धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन आरोप विरचित किए। अपीलार्थी ने अपना दोष अस्वीकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया एवं विचारण का अभिवाक किया।



5. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने 07 साक्षियों का परीक्षण कराया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है और उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना के उपरान्त, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष और उसे निर्णय के पैरा 1 में उल्लिखित दण्डादेश दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश अवैध, त्रुटिपूर्ण और विधि के विपरीत है और इसे अपास्त किया जाए। विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में असफल रहा है। विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय डॉ. वी.एस. राठौर (अ.सा.-6) की साक्ष्य को समझने में असफल रहा है, जिन्होंने कथन किया कि पीड़ित के गुदा के बाहरी भाग पर कोई चोट नहीं पाई गई थी और उन्होंने प्र.पी./11 के अधीन अपनी रिपोर्ट दी थी। विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में असफल रहा है कि पुलिस के समक्ष दी गई पीड़ित की साक्ष्य और मजिस्ट्रेट और विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन में वृहद विरोधाभास है, जो अपने आप में अभियोजन की पूरी कहानी को संदिग्ध बनाता है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि यदि अभियोजन के पूरे प्रकरण को भी उसके वास्तविक रूप में लिया जाए, तो भी वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अधीन अपराध का कोई प्रकरण नहीं बनता। विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में असफल रहा है कि विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य दुर्बल हैं और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि हेतु अवलंब नहीं लिया जा सकता। पीड़ित के कथन से ही ज्ञात होता है कि वह स्वयं अपीलार्थी के घर गया था, जब वह कमरे में अकेला था और उसने अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी हरकतें की। इसके अतिरिक्त, पीड़ित ने अपनी प्रतिपरीक्षण में भी इस बात का समर्थन किया है कि उसे भी ऐसी चीजें पसंद हैं। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे अपने प्रकरण को साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन यह भी साबित करने में असफल रहा है कि पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु का है, ऐसे में इस प्रकरण में पोक्सो की धारा 4 लागू नहीं होती। यह भी तर्क है कि पीड़ित (अ.सा.-2) के पिता ने अपनी प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह पीड़ित की आयु के विषय में निश्चित नहीं है और आगे तर्क है कि पीड़ित का जन्म जमुना, कोटमा (म.प्र.) में हुआ था, परंतु उसका जन्म प्रमाण पत्र कोरबा नगर निगम में तैयार किया गया है। अतः यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है कि अपराध के समय पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम था। अतः आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए।



अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा रिट अपील क्रमांक 120/2021 [कल्लू खान विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य व अन्य] में दिनांक 11.02.2022 को पारित निर्णयों का अवलंब लिया।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि पीड़ित के साथ अप्राकृतिक लैंगिक संबंध बनाना पीड़ित (अ.सा.-1) के साक्ष्य से साबित हो चुका है, जिसकी पुष्टि अ.सा.-6 के चिकित्सा साक्ष्य और प्र.पी./11 के अधीन उसकी रिपोर्ट से भी होती है। उनका आगे तर्क है कि अभियोजन ने विधिवत दस्तावेजी साक्ष्य - पीड़ित का जन्म प्रमाण पत्र - प्रस्तुत किया है, जो इस तथ्य को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य है कि घटना के समय पीड़ित अवयस्क थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की सुक्ष्मतापूर्वक विवेचना करते हुए अपीलार्थी को उचित रूप से सिद्धदोष किया है एवं इसमें न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया है।

9. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 और पोक्सो की धारा 4 के अधीन आरोप विरचित किए और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन सिद्धदोष किया और उसे इस निर्णय के पैरा 1 में वर्णित अनुसार दण्डित किया।

10. पीड़ित की आयु पर विचार करने हेतु मैंने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। अभियोजन ने जन्म प्रमाण पत्र (प्र.पी.-7), अंकसूची (प्र.पी.-8) और विद्यालय दाखिल पंजी (प्र.पी.-8 ए(सी)) का अवलंब लिया, जिसे अ.सा./2 - पीड़ित के पिता और अ.सा.-3 - रजनीगंधा पाठक, प्रधानाचार्य द्वारा साबित करने की मांग की गई है।

11. इस विवाद्यक को सारांशित करने हेतु, इस न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों प्र.पी.-7 और प्र.पी.-8 का परिशीलन किया है। जन्म प्रमाण पत्र (प्र.पी.-7) और अंकसूची (प्र.पी.-8) के अनुसार पीड़ित की जन्म तिथि 09.03.2003 है, परंतु जन्म प्रमाण पत्र (प्र.पी.-7) से यह स्पष्ट है कि यह पीड़ित के जन्म के 10 वर्ष बाद 31.08.2013 को जारी किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने में लगभग 10 वर्ष का विलम्ब हुआ है।



12. इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या विलम्ब से जारी जन्म प्रमाण पत्र को दायित्व प्रकरणों में पीड़ित की आयु अवधारित करने हेतु विचार में लिया जा सकता है।

13. निस्संदेह, जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की आयु अवधारित करने के लिए एक मजबूत साक्ष्य है और इस दस्तावेज की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, परंतु जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण और उससे जुड़े प्रकरणों को विनियमित करने के लिए, संसद ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 को अधिनियमित किया है। अध्याय-III- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के अधीन विभिन्न प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और धारा 13 जन्म और मृत्यु के विलंबित रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है। सुलभ संदर्भ हेतु, धारा 13 (3) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

-

“13. जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण-(1) जिस जन्म या मृत्यु की इत्तिला तदर्थ बिनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात्, किन्तु उसके होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह ऐसी विलम्ब-फीस, जो विहित की जाए, दिए जाने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(2) xx xx

(3) जो जन्म या मृत्यु होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हो, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर और विहित फीस दिए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।”

14. अब आते हैं अ.सा.-2 - पीड़ित के पिता के साक्ष्य पर, जिसने यह तथ्य स्वीकार किया है कि पीड़ित का जन्म जमुना, कोटमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) में हुआ था तथा उसका जन्म प्रमाण पत्र कोरबा के सक्षम अधिकारी द्वारा वर्ष 2013 में जारी किया गया था। जब इस साक्षी से यह प्रश्न किया गया कि "जब कोरबा नगर निगम से जन्मप्रमाण पत्र बनवाया था तब आपने बताया था कि बालक का जन्म कोरबा में नहीं हुआ है?", तो इस साक्षी ने उत्तर दिया कि, "उससे इस बारे में नहीं पूछा गया था, इसलिए उसने नहीं बताया"।

15. अभियोजन ने जमुना, कोटमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के कोटवार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही रजिस्ट्रीकरण में विलम्ब के संबंध में कोरबा के सक्षम अधिकारी की जांच कार्यवाही के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13



(3) के दृष्टिगत जन्म तिथि का विवरण, और किस आधार पर उसने पीड़ित का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है।

16. एक अन्य दस्तावेज जिस पर विचारण न्यायालय ने अवलंब लिया वह है अंकसूची (प्र.पी.-8) और विद्यालय दाखिल पंजी (प्र.पी.-8 ए(सी)) और इन दस्तावेजों को साबित करने के लिए अभियोजन ने अ.सा.-3 - रजनीगंधा पाठक, प्राथमिक विद्यालय कोरबा की प्रधानाध्यापिका का परीक्षण कराया। उसने कहा है कि विद्यालय दाखिल पंजी (प्र.पी.-8 ए(सी)) के अनुसार पीड़ित की जन्म तिथि 09.03.2003 है और पीड़ित को 04.07.2015 को कक्षा 6 में प्रवेश दिया गया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसे ज्ञात नहीं कि पीड़ित 5 वीं कक्षा की पढ़ाई करके किस विद्यालय से आया है। उसने यह भी कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि उसके विद्यालय में प्रवेश के समय पीड़ित कौन से दस्तावेज लेकर आया था। उसने स्वीकार किया है कि कक्षा 6 में प्रवेश के समय पीड़ित के कक्षा 5 के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में लिखी जन्म तिथि के आधार पर दाखिल खारिज पंजी में जन्म तिथि दर्ज की गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसे यह ज्ञात नहीं कि पीड़ित ने उसके विद्यालय में किस कक्षा तक पढ़ाई की है। उसने यह भी कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि पीड़ित ने उसका विद्यालय कब छोड़ा या उसने विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र किस तारीख को लिया।

17. इस साक्षी की उपरोक्त साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि वह दाखिल खारिज पंजी की लेखिका नहीं है और उसे ठीक से ज्ञात नहीं था कि पीड़ित की जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई थी।

18. अलामेलु व अन्य विरुद्ध राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत, 2011(2) एससीसी 385 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि शासकीय विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। यद्यपि, ऐसे दस्तावेज की स्वीकार्यता अभियोक्त्री की आयु साबित करने के लिए बहुत साक्ष्यिक मूल्य की नहीं होगी, क्योंकि आयु दर्ज करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। यह निम्नानुसार अवधारित किया गया:-

“40. निस्संदेह, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी.-16 से ज्ञात होता है कि बालिका की जन्म तिथि 15 जून, 1977 थी। अतः उपरोक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, कथित घटना की तिथि यानी 31 जुलाई, 1993 को उसकी आयु 16 वर्ष (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) से अधिक होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र शासकीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया है तथा प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है।



अतः यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। यद्यपि, इस प्रकार के दस्तावेज की स्वीकार्यता बालिका की आयु साबित करने के लिए बहुत अधिक साक्ष्यिक मूल्य की नहीं होगी, क्योंकि उस सामग्री की अनुपस्थिति में जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति का परीक्षण न कराया जाए जिसने प्रविष्टि की या जिसने जन्म तिथि दी।

48. हम आगे यह भी देख सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में भी, एक लोक दस्तावेज को सिविल व दाण्डिक कार्यवाही में समान मानक लागू करके परखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, रविंदर सिंह गोरखी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य⁴ के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना उचित होगा जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया :-

“विद्यालय पंजी में दर्ज व्यक्ति की आयु या अन्यथा विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग की जा सकती है, जैसे प्रवेश प्राप्त करना; नियुक्ति प्राप्त करना; चुनाव लड़ना; विवाह का पंजीकरण; सीलिंग कानूनों के अधीन एक अलग इकाई प्राप्त करना; और यहां तक कि सिविल फोरम के समक्ष विचारण करने के प्रयोजन से भी जैसे कि अभिभावक द्वारा न्यायालय में प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता या जहां कोई वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है कि वादी अवयस्क होने के कारण उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया या उसकी ओर से किया गया कोई भी लेन-देन अवयस्क होने के कारण शून्य था। (2006) 5 एससीसी 584 के अनुसार साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, वाद के पक्षकार की आयु अवधारण के प्रकरण से न्यायालय को समान मानक लागू करना होगा। अपहरण या बलात्संग के प्रकरण में या इसी प्रकार के अपराध में जहां पीड़ित या अभियुक्त के विरुद्ध कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है। अभियोक्त्री ने यद्यपि अभियुक्त के साथ सम्मति व्यक्त की हो, परंतु यदि विद्यालय द्वारा निर्मित पंजी में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया जाता है, तो अभियुक्त संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगा, क्योंकि उस प्रकरण में अभियुक्त को अन्यायपूर्ण सिद्धदोष किया जा सकता है।”





19. अलामेलु (पूर्वोक्त) में पारित उपरोक्त निर्णय के आलोक में, यह स्वीकार किया जा सकता है कि विद्यालय दाखिल पंजी (दाखिल खारिज पंजी) में की गई प्रविष्टि का आधार रजनीगंधा पाठक (अ.सा.-3), प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, जहां पीड़ित पढ़ती थी, को ज्ञात नहीं है, तथा जन्म प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि यह पीड़ित के जन्म के लगभग 10 वर्ष पश्चात जारी किया गया है तथा अभियोजन ने जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अंतर्गत विलम्ब से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में कोरबा के सक्षम प्राधिकारी की कार्यवाही को दर्शाने वाले कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसलिए, इस न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन होगा कि घटना के समय पीड़ित अवयस्क थी। अभियोजन को इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना है कि घटना के समय पीड़ित अवयस्क थी, परंतु वह इसे साबित करने में असफल रहा है।

20. जन्म प्रमाण पत्र आयु का एक मजबूत प्रमाण है, इसलिए इसे अवश्य विचार में रखा जाना चाहिए, परंतु यदि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में एक वर्ष से अधिक की विलम्ब होती है, तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अध्याय III की धारा 13 की उपधारा 3 के प्रावधान का अनुपालन करने के बाद ही इसे विचार में रखा जाएगा, जो जन्म या मृत्यु की सत्यता की पुष्टि करने और विहित शुल्क के संदाय के पश्चात प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के आदेश का प्रावधान करता है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों और पीड़ित की आयु के संबंध में साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि घटना की तारीख पर पीड़ित अवयस्क था, को खारिज कर दिया जाता है और अपीलार्थी को पोक्सो की धारा 4 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

21. इस न्यायालय के समक्ष यह अगामी अवधारणीय प्रश्न यह है कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अधीन अपराध कारित किया है या नहीं।

22. संक्षिप्त में, इस न्यायालय ने पीड़ित (अ.सा.-1) के साक्ष्य का परिशीलन किया है, जिसने अपीलार्थी के विरुद्ध विशेष रूप से व्यक्त किया है कि घटना की तिथि को अपीलार्थी ने उसे कील खरीदने जाने को कहा और जब वह तैयार हो गया, तो अपीलार्थी ने उसे सब्जी बनाने के लिए मिर्च लाने को कहा। उसने यह भी कहा है कि वह मिर्च देने के लिए अपीलार्थी के कमरे में गया और जब वह अपने घर लौट रहा था, तो अपीलार्थी ने उसे कुछ देर रुकने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वह बिस्तर पर बैठा था और अपीलार्थी ने मोबाइल में पेन ड्राइव डालने के बाद अश्लील फिल्म/क्लिप देखना शुरू कर दिया। इसके बाद, अपीलार्थी ने अपनी (पीड़ित की) पैंट उतारी और उसके ऊपर सो गया। उसने यह भी कहा है कि वह चिल्लाने लगा और अपीलार्थी ने अपना लिंग उसके गुदा में डाल दिया। इसके बाद वह



किसी तरह अपने कमरे से भागकर अपने माता-पिता के पास गया और घटना के बारे में बताया। तत्पश्चात उसी दिन उसने पुलिस थाने में प्र.पी.-1 के अधीन लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध देहाती नालिशी (प्र.पी.-2) और उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-22) दर्ज की गई। प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षण में कही गई बातों पर अडिग रहा और इस बात से इनकार किया कि वह अपीलार्थी को फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य दे रहा है।

23. डॉ. वी.एस. राठौर (अ.सा.-6) ने बताया कि 15.10.2020 को रात करीब 9.10 बजे पीड़ित को उनके समक्ष चिकित्सा परीक्षण के लिए लाया गया था और परीक्षण करने पर उन्होंने गुदा द्वार के ठीक ऊपर म्यूकोसा में 12 बजे की स्थिति में गुदा क्षेत्र में कई दरारें पाईं, जो यह संकेत दे रही थीं कि पीड़ित/शिकायतकर्ता के साथ लैंगिक शोषण किया गया था और उन्होंने प्र.पी.-12 के अधीन अपनी रिपोर्ट दी। चिकित्सक ने यह भी कहा कि गुदा क्षेत्र के आसपास की चोटें अप्राकृतिक लैंगिक अपराध की पुष्टि करती हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्र.पी.-19) भी पीड़ित की गुदा स्लाइड में वीर्य और मानव शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि करती है।

24. साक्ष्यों का सुक्ष्मतापूर्वक परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक 15.10.2020 को जब पीड़ित अपीलार्थी को मिर्च देकर अपने घर लौट रहा था, तो अपीलार्थी ने उसे कुछ देर रुकने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया तथा मोबाइल में अश्लील फिल्म/क्लिप देखने के बाद उसने पीड़ित की पैंट उतार दी और अपना लिंग पीड़ित के गुदा में डाल दिया। घटना के बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी और उसी दिन पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत (प्र.पी.-1) दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध देहाती नालिशी (प्र.पी.-2) और उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-22) दर्ज की गई। पीड़ित (अ.सा.-1) के साक्ष्य की पुष्टि डॉ. वी.आर. राठौर (अ.सा.-6) ने गुदा द्वार के ठीक ऊपर म्यूकोसा में 12 बजे की स्थिति में गुदा क्षेत्र में कई दरारें देखीं, जो यह संकेत दे रही थीं कि पीड़ित/शिकायतकर्ता के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार किया गया था और उन्होंने प्र.पी.-12 के अधीन अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें व्यक्त किया गया कि गुदा क्षेत्र के आसपास की चोटें अप्राकृतिक लैंगिक अपराध की पुष्टि करती हैं, और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्र.पी.-19) ने भी पीड़ित की स्लाइड में वीर्य और शुक्राणु की मौजूदगी की पुष्टि की। बचाव पक्ष ने इन साक्षियों से लंबी प्रतिपरीक्षण की, परंतु उनकी प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उनकी साक्ष्य को बदनाम किया जा सके, विशेषतया इस तथ्य के विषय में कि अपीलार्थी ने पीड़ित के साथ अप्राकृतिक संभोग नहीं किया है। पीड़ित (अ.सा.-1) और चिकित्सक (अ.सा.-6) के साक्ष्य इस न्यायालय को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं और यही अपीलार्थी को धारा 377 के अधीन अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष करने के लिए पर्याप्त है।



25. इस न्यायालय को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि में कोई अवैधता या दुर्बलता प्रतीत नहीं होती है और इस धारा के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि यथावत रखी जाती है जबकि उसे पोक्सो की धारा 4 के अधीन दोषमुक्त किया जाता है क्योंकि अभियोजन पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है जैसा कि इस निर्णय में उपरोक्त विमर्श किया गया है।

26. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 15.10.2020 से कारावास में निरुद्ध है और 04 वर्ष से अधिक जेल में रह चुका है। उसने इन सभी वर्षों में अपने विरुद्ध लंबित दाण्डिक कार्यवाही के कारण मानसिक पीड़ा का सामना किया है, अतः, कुछ सहानुभूति ली जा सकती है और उसका दण्ड को पहले से ही भुगती गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

27. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य, घटना के तरीके और प्रकृति को विचार में रखते हुए, मेरे विचार में, दण्ड के प्रकरण में उसे कुछ प्रविलंबन प्रदान की जानी चाहिए।

28. फलस्वरूप, अपीलार्थी की धारा 4 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है, परंतु धारा 377 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उसे 07 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 377 के अधीन अपराध हेतु अधिरोपित अर्थदण्ड वही रहेगा और इसके संदाय के व्यतिक्रम पर उसे छह माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।

29. दण्डादेश में उपरोक्त संशोधन सहित दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

30. इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

